

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB AMBALA Year (वर्ष): 2018  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 24/08/2018 18:31 hrs

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)                     | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1               | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7                   |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):  
1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):  
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):  
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/08/2018 Time (समय): 17:30 hrs  
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 24/08/2018 17:57 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):  
(b) Address (पता):  
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Inspector Rajesh Kumar  
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA  
(e) UID No. (यूआईडी सं.):  
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):  
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):  
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------------|--------------------------|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)                                |
|-----------------|------------------------------|--|
| 1               | Present Address              | SVB Sub Unit, KaithalKAITHAL, HARYANA, INDIA |
| 2               | Permanent Address            | SVB Sub Unit, KaithalKAITHAL, HARYANA, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम)                    | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता)                                    |
|------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|---|
| 1                | ASI Satyawan Sagar 441Kaithal |               |                                    | 1. Police Station Kalayat,Kaithal,KALAYAT,KAITHAL,HARYANA,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                  |                                     |                                    |                     |                                 |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|------------------|--------------------------------|
|                  |                                |

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल तहरीर जेल है - सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो,अम्बाला। श्रीमान जी, निवेदन है कि यह शिकायत महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के क्र0 11546/टोल फ्री शिकायत/18/अम्बाला/2017 दिनांक 11.09.17 वा कार्यालय पुलिस अधिक्षक रा0 चौ0 ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला की डायरी नं0 1536 दिनांक 12.09.2017 के अनुसार प्राप्त हुई थी जिसमें जितेंद्र पुत्र श्री जीत सिंह निवासी गांव शिमला तं0 कलायत जिला कैथल की शिकायत के आधार पर निम्नलिखित आरोप की पडताल की जानी थी। जिसमें शिकायतकर्ता का आरोप था कि मैं गांव शिमला का स्थाई निवासी हूं। मेरा नाम जितेंद्र पुत्र जीत सिंह है मैं बी0ए0 का छात्र था और आर्थिक स्थिती कमजोर होने के कारण मेने पढाई छोड दी थी। और मैं अपने घर का काम चलाने के लिये शराब का खुंदा चलाने लगा। जिस कारण कलायत थाना से श्री सत्यवान सागर पुलिस डिपार्टमेण्ट से मेरे घर पर नाजायज तरीकें से आते जाते और मुझे डरा धमका कर मुझ से रुपये ले जाते। इसके बावजूद मेने शराब बेचना बन्द भी कर दिया था। फिर भी मेरे घर रात को भी नाजायज तरीकें से आकर मुझ पर झूठा केस बनाने की धमकी देते। और मुझे बोलते की अगर मैं उसको पैसे रुपये नही दूंगा तो वो मुझ पर झूठा मामला दर्ज कर देंगे। तीन बार तो श्री सत्यवान सागर मुझसे रुपये ले गये। ये धमकी देकर कि मैं झूठा मामला दर्ज कर दूंगा। पहली बार 6600रु, दूसरी बार 3800रु, तीसरी बार 2500रु लेकर गये। जबकि मेने शराब बेचनी बन्द भी कर दी थी। लेकिन फिर मेरे पापाजी और मौसा जी खाना खा रहे थे और साथ मे आधी बोतल शराब की लेकर पी रहे थे। जो शराब मेरे पिताजी ठेका से लेकर आये थे। सत्यवान सागर जी ने उस समय मेरे पिताजी के साथ भी बदतमीजी की और झूठा मामला दर्ज करने की धमकी देने लगे और रुपये मांगने लगे। मुझे धमकी देने लगे कि आधा बोतल की सौ बोतल लिखकर झूठा केस दर्ज कर दूंगा। अगर रुपये नही दिये तो श्री सत्यवान सागर जी मुझे रुपये के लिये फोन पर मिलने के लिये बोलते। जिसकी फोन रिकार्डिंग मेने सी0 डी0 बनाकर पेश की है और रिश्वत मांगाने की रिकार्डिंग और मुझपर झूठा केस बनाने की रिकार्डिंग भी मेने पेश की। और श्री सत्यवान सागर जी ने रिकार्डिंग में भी रुपये मांगाने की बात बोल रखी है। 5000रु/ मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी इतने रुपये नहीं दे सकता तो 2500रु तक देने की बात कहा कि अगर जितेंद्र तू शराब बेचना चाहता है तो बेच ले लेकिन बदले में मुझे तेल पेट्रोल का खर्चा व फोन रिचार्ज का खर्चा दे दिया कर। लेकिन मैंने कहा कि मैं शराब नहीं बेचूंगा। जिसकी रिकार्डिंग भी मेने पेश की है। जब मैंने श्री सत्यवान सागर जी से कहा कि आपका तेल पेट्रोल व फोन का खर्चा तो सरकार देगी तो उसने कहा कि हम तो उपर से मतलब रिश्वत लेकर ही अपना खर्चा निकालते हैं। अतः जनाब जी से प्रार्थना है कि रिश्वत मांगने तथा ली गई रिश्वत के मामले मे श्री सत्यवान सागर जी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। जिसकी पडताल तथा रिकार्डिंग के विश्लेषण पर शिकायत में लगाये गये आरोप सच्चे पाए गये तथा आरोपी द्वारा उधार दिये गये रुपये वापिस मांगने की कहानी उसकी रिकार्ड की गई बातचीत को ध्यान में रखते हुये झूठी पाई गई। जिसपर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के पत्र क्रमांक 11537/टोल फ्री शिकायत/18/अम्बाला/2017 दिनांक 10.08.18 वा कार्यालय पुलिस अधिक्षक रा0 चौ0 ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला की डायरी नं0 1137 दिनांक 13.08.2018 के अनुसार अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त होने पर बाबत रिश्वत मांगने के बारे उप निरीक्षक सत्यवान नं0 441/कैथल के विरुध जर्म जेरधारा 7 पी.सी.एक्ट1988 का सरजद होना पाया जाने पर तथा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला हरियाणा के पत्र क्रमांक 11956/1-3/रा0चौ0ब्यूरो पंचकुला दिनांक 21.08.2018 व कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक

रा0 चौ0 ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के डायरी नं0 1176 दिनांक 23.08.2018 अनुसार तहरीर वैट होने उपरान्त, तहरीर बराये कायमी मुकदमा बदस्त एच0सी बीरबल 1080 करनाल को थाना राज्य चौकसी ब्यूरो भेजा जा रहा है। स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे और बाद कायमी मुकदमा अफसरान बाला से आगामी तफतीश के आदेश प्राप्त करने उपरान्त मिशल मुकदमा मय रिकार्ड सहित सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जावें। sd Rajesh Kumar निरीक्षक, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, उप केंद्र कैथल 24.08.18. at 5.30 pm. अज थाना - लिखित लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त बादस्त एच0सी बीरबल 1080 करनाल के थाना मे प्राप्त होने पर मुताबीक रपट न. 10 समय 5.57 पी.एम. दिनांक 24.08.18 धारा मुकदमा न. 10 दिनांक 24.08.18 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 दर्ज करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट बादस्त एच0सी बीरबल 1080 करनाल के इयुटी मैजिस्ट्रेट कैथल व मिसल मुकदमा मय असल लेख आईन्दा तफतीश हेतु निजद निरीक्षक राजेश कुमार रा.चौ.ब्यू., उप केंद्र कैथल भेजा जा रहा है । प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण की सेवा में बजरिया डाक भेजी जावेंगी । ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or ( या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Rajesh kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

**No. (सं.):** 71hap **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)**

**R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)**

**Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

**Name (नाम):** Dinesh Chand

**Rank (पद):** SI (Sub Inspector )

**No. (सं.):**

14. **Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर  
/अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

